



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257657
CG-DL-E-03102024-257657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946

No. 767]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2024

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1038).—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (434) दिनांक 27 अक्टूबर 2022 (प्रकाशित दिनांक 11 नवम्बर 2022)

क) अनुसूची के क्रम संख्या 14, कॉलम (2) में — 'आई एस 16170 (भाग 3) : 2022/आई ई सी 61853-3 : 2018 फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल प्रदर्शन परीक्षण और ऊर्जा रेटिंग भाग 3 पीवी मॉड्यूल की ऊर्जा रेटिंग (पहला पुनरीक्षण)' को 'आई एस 16170 (भाग 3) : 2022/आई ई सी 61853-3 : 2018 फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल प्रदर्शन परीक्षण और ऊर्जा रेटिंग भाग 3 पीवी मॉड्यूल की ऊर्जा रेटिंग' से प्रतिस्थापित करें।

ख) अनुसूची के क्रम संख्या 14, कॉलम (4) में — 'आई एस 16170 (भाग 2) : 2018/आई ई सी 61853-3 : 2016 प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल कार्यकारिता परीक्षण एवं ऊर्जा रेटिंग भाग 2 पीवी मॉड्यूल की ऊर्जा रेटिंग' को 'लागू नहीं' से प्रतिस्थापित करें।

ग) अनुसूची के क्रम संख्या 14, कॉलम (5) में — '26 नवम्बर 2022' को 'लागू नहीं' से प्रतिस्थापित करें।

2) HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (614) दिनांक 30 मई 2023 (प्रकाशित दिनांक 05 जून 2023)

क) अनुसूची के क्रम संख्या 1, कॉलम (5) में — '28 मई 2024' को '28 नवम्बर 2024' से प्रतिस्थापित करें
पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन सं. III/4/Exty/536/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, 25th September, 2024

Ref: HQ-PUB-BIS (1038).—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (434) dated 27 October 2022 (Published on 11 November 2022)

- a) Sl No. 14, column (2) of schedule — Substitute 'IS 16170 (Part 3) : 2022/IEC 61853-3 : 2018 Photovoltaic (PV) Module Performance Testing and Energy Rating Part 3 Energy Rating of PV Modules' for 'IS 16170 (Part 3) : 2022/IEC 61853-3 : 2018 Photovoltaic (PV) Module Performance Testing and Energy Rating Part 3 Energy Rating of PV Modules (First Revision)'.
- b) Sl No. 14, column (4) of schedule — Substitute 'NA' for 'IS 16170 (Part 2) : 2018/IEC 61853-2 : 2016 Photovoltaic (PV) Module Performance Testing and Energy Rating Part 2 Spectral Responsivity, Incidence Angle and Module Operating Temperature Measurements'.
- c) Sl No. 14, column (5) of schedule — Substitute 'NA' for '26 November 2022'.

2) Ref no. HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (614) dated 30 May 2023 (Published on 05 June 2023)

- a) Sl No. 1, column (5) of schedule — Substitute '28 November 2024' for '28 May 2024'.

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM)

[Advt. III/4/Exty/536/2024-25]